कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, महोबा।

नीलामी सूचना/शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जनपद न्यायालय महोबा परिसर में स्थित जलपान की दुकान, फोटोस्टेट की दुकान एवं पान की दुकान आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 27.03.2019 को 3:00 बजे अध्यक्ष, नीलामी समिति/प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, महोबा के विश्राम कक्ष में नीलामी सम्पन्न करायी जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई0डी0) के साथ उपस्थित होगें।

नीलामी होने वाली दुकानों का विवरण

1	ठेका जलपान (कैन्टीन)	1
2	ठेका पान, सुपारी, सिगरेट	1
3	ठेका फोटो स्टेट	1

1. यह ठेका दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए वैद्य होगी।
2. जिस ठेकेदार के यहाँ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको यह उसके परिवार के सदस्यों का या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (बिगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर) की 10 प्रतिशत धनराशि जामानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।
4. जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि के 20–20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किश्तों (प्रमि किश्त जून–2019, द्वितीय किश्त सितम्बर–2019 तथा तृतीय किश्त दिसम्बर–2019 तक) में जमा करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रृटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा और बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।
5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और पुनः नीलामी कर दी जायेगी।
6. नीलामी में सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं 24 दिनांकित

18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।

7. जिसे व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0 31/एस. दिनांकित 18.03.1988 में दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू0 100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8. ठेकेदार को अपने दुकान के आस पास सफाई स्वय करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं0 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहॉ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सकें।

9. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोबा को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वय अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेगें।

10. जितनी भूमि दुकान करने हतु दी जायेगी, उसी में दुकान करना होगा।

11. उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दे या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसक सम्पत्ति से करा दें।

दिनांकः—14.03.2019

अध्यक्ष (हस्ताक्षर) 14.3.19
नीलामी कमेटी
जनपद न्यायालय, महोबा।

प्रतिलिपि — निम्नलिखित न्यायालयों/कार्यालयों, महोबा के सूचना पट पर चस्पा की जावे।

1— न्यायालय माननीय जिला जज महोबा।
2— न्यायालय परिसर के समस्त सूचना पटो पर।
3— कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।
4— कार्यालय नगर पालिका परिषद महोबा।
5— जिला सूचना अधिकारी महोबा।
6— कार्यालय उपजिलाधिकारी महोबा।
7— कार्यालय तहसीलदार महोबा।
8— कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, महोबा वास्ते प्रकाशन बेवसाइट माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय।
9— प्रभारी विज्ञापन/नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

अध्यक्ष (हस्ताक्षर) 14.3.19
नीलामी कमेटी
जनपद न्यायालय, महोबा।